न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(26)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5406/2018/होशंगाबाद/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.2018 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 493/अपील/2017-18.

---

1. लखनलाल यादव आ. बद्रीप्रसाद यादव
   निवासी ग्राम भिलाडियाकलां, तह. सिवनीमालवा,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
2. बद्रीप्रसाद यादव आ. शिवनारायण यादव
   निवासी ग्राम भिलाडियाकलां, तह. सिवनीमालवा,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. रूकमणीबाई पुत्री बद्रीप्रसाद यादव पति मनोज यादव
   निवासी दो पीपल बाबा कॉलोनी, सिवनीमालवा,
   तहसील सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद, म.प्र.
2. अंजु यादव पुत्री बद्रीप्रसाद यादव
   निवासी ग्राम भिलाडियाकलां, तह. सिवनीमालवा,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.
3. राधाबाई पुत्री बद्रीप्रसाद यादव पत्नी संतोष यादव
   निवासी दो पीपल बाबा कॉलोनी, सिवनीमालवा,
   तहसील सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद, म.प्र.
4. सुषमा यादव पुत्री बद्रीप्रसाद यादव पत्नी दीपक यादव
   निवासी ग्राम बड़ा, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, म.प्र.
5. रानू पुत्री बद्रीप्रसाद यादव पत्नी अनूप यादव
   निवासी ग्राम थुआ, तहसील सिवनीमालवा,
   जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 16.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्र. 2 के नाम से ग्राम हिनौतिया स्थित भूमि खसरा नंबर 314/1 रकबा 1.50 एकड़, खसरा नंबर 315/1 रकबा 230 एकड़ राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही थी तथा आवेदक क्र. 2 के नाम ग्राम भिलाडियाकलां तहसील सिवनीमालवा स्थित भूमि खसरा नंबर 324/1 रकबा 10.06 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि आवेदक क्र. 1 आवेदक क्र. 2 का एक ही पुत्र है तथा वह आवेदक क्र. 2 की सेवा सुश्रुषा करता रहा है। इसी कारण आवेदक क्र. 2 के द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि को पारिवारिक व्यवस्था अनुसार आवेदक क्रमांक 1 के नाम संशोधन क्रमांक 43 प्रमाणीकरण दिनांक 22.06.2010 के माध्यम से ग्राम भिलाडियाकलां की भूमि तथा संशोधन क्र. 44 प्रमाणीकरण दिनांक 17.06.2010 के माध्यम से ग्राम हिनौतिया की भूमि दी गई थी तथा उक्त संशोधनों के माध्यम से आवेदक क्र. 1 का नाम उक्त भूमियों पर दर्ज किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा एक संयुक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण क्रमांक 28/अ-6/2017-18 दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 13.07.2018 से अपील स्वीकार की गई तथा संशोधन क्रमांक 43 प्रमाणीकरण दिनांक 22.06.2010 के माध्यम से ग्राम भिलाडियाकलां की भूमि तथा संशोधन क्र. 44 प्रमाणीकरण दिनांक 17.06.2010 ग्राम हिनोतिया में पारित बंटवारा आदेश खारिज किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 से प्रस्तुत अपील आधारहीन मानते हुए अग्राह्य की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) वादग्रस्त भूमियों में से ग्राम भिलाड़िया स्थित भूमि खसरा क्र. 324/1 रकबा 10.06 ए भूमि का पुराना खसरा नंबर 328 रकबा 20.28 ए था, जो कि आवेदक क्र. 2 बद्रीप्रसाद की मां श्रीमती मच्छोबाई विधवा शिवनारायण के एकमात्र स्वत्व की भूमि होकर उनके भूमिस्वामी अधिकार में राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी महिला द्वारा धारित संपत्ति उसके एकमात्र स्वत्व एवं अधिकार की संपत्ति होना विधिक निर्धारित की गई है। उक्त मच्छोबाई की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर उसके पुत्रों आवेदक बद्रीप्रसाद सहित उसके अन्य भाईयों निर्भयसिंह एवं मिश्रीलाल का नाम उक्त भूमि पर चढाया गया था। तत्पश्चात् इन तीनों भाईयों में मातृक स्वत्व की इस संपत्ति का विभाजन होकर 10.06 ए भूमि आवेदक क्र. 2 बद्रीप्रसाद को उसके एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्य में प्राप्त हुई थी, जिसका बाद में खसरा क्र. 324/1 हो गया था। इस तरह यह भूमि इन पक्षकारों के पैतृक खानदानी स्वत्व की संपत्ति कदापि नहीं है। यह संपत्ति आवेदक क्र. 2 की मां स्व. मच्छोबाई के एकमात्र स्वत्व की संपत्ति थी, जिसमें स्व. शिवनारायण जी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी दशा में अनावेदकगण को भी इस भूमि में मूलत: कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि आवेदक क्र. 2 इस भूमि का एकमात्र स्वत्वाधिकारी होकर इस भूमि को अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने जीवनकाल में विक्रय, दान, व्यवस्था एवं अन्य रूप में अंतरण करने का पूर्ण अधिकारी है। अपने ऐसे ही अधिकारों के तहत आवेदक क्र. 2 ने आवेदक क्र. 1 के साथ आपसी व्यवस्था कर उसके नाम पर ग्राम भिलाडिया की उक्त भूमि कर दी है, जिस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को कदापि नहीं है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के स्वत्व के मूल स्त्रोत के संबंध में विधिनुसार कोई जांच नहीं की, बल्कि मात्र अनावेदक क्र. 1 रूकमणीबाई के आधारहीन कथनों पर विश्वास कर वादग्रस्त संपत्तियों के पैतृक खानदानी संपत्ति होना उपधारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों को यह देखना आवश्यक था कि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार राजस्व न्यायालयों को किसी भूमि पर किसी व्यक्ति के स्वत्व को विनिश्चित करने का कोई अधिकार नहीं होता है, उन्हें राजस्व न्यायालयों को मात्र राजस्व प्रविष्टियों के

आधार पर ही कार्यवाही करने का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति राजस्व प्रविष्टियों के विपरीत जाकर उसके विरूद्ध अपने तथाकथित स्वत्व को विनिश्चित करवाना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसे व्यवहार न्यायालयों के समक्ष अपना व्यवहार वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 1 उसके पिता आवेदक क्र. 2 के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित करना चाहती थी, तो उसकी प्रथम अपील निरस्त की जाकर उसे व्यवहार न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाना आवश्यक एवं विधिसंगत था।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों को वादग्रस्त भूमि के स्वत्व के स्त्रोतों के संबंध में जांच करते वक्त यह देखना आवश्यक था कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के पैतृक स्वत्व के होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदक क्र. 2 बद्रीप्रसाद के नाम पर उक्त वादग्रस्त भूमियां किस समय भूमिस्वामी अधिकार में दर्ज की गई थी ? अनावेदक क्र. 2 रूकमणीबाई कब अधिकार प्राप्त हुआ एवं उसके द्वारा अपने अधिकार को प्राप्त किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?
अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक क्र. 2 द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि को पारिवारिक व्यवस्था अनुसार आवेदक क्रमांक 1 के नाम संशोधन क्रमांक 43 प्रमाणीकरण दिनांक 22.06.2010 के माध्यम से ग्राम भिलाडियाकलां की भूमि तथा संशोधन क्र. 44 प्रमाणीकरण दिनांक 17.06.2010 के माध्यम से ग्राम हिनौतिया की भूमि दी गई थी तथा उक्त संशोधनों के माध्यम से आवेदक क्र. 1 का नाम उक्त भूमियों पर दर्ज होना बताया है एवं आवेदक क्र. 2 के नाम इन भूमियों के अलावा भी अन्य भूमियां दर्ज है, स्वीकार किया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित कृषि भूमियां पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति रही है, जिसमें इन अनावेदकगण का भी हित निहित है। उक्त विवादित कृषि भूमियां तहसील सिवनीमालवा के क्षेत्राधिकार में हैं, अर्थात् उक्त विवादित भूमियां तहसील सिवनीमालवा के क्षेत्राधिकार में होकर उसकी सुनवाई का एकमात्र अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है एवं उक्त

कृषि भूमियों के संबंध में अपील का अधिकार भी अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को गुण-दोषों के आधार पर सुनवाई का स्पष्ट रूप से निराकृत किया है, जिसे आयुक्त ने भी मान्य किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की है।

(2) आवेदक का तर्क है कि दो अलग-अलग संशोधन आदेशों की पृथक-पृथक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही अपील प्रकरण में दो संशोधन प्रमाणीकरण आदेश को निरस्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन संशोधन से संबंधित मूल भूमिस्वामी तथा पक्षकार एक ही है तथा विधि प्रश्न व तथ्य भी एक ही है। ऐसी स्थिति में दोनों संशोधन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में तथ्यों एवं विधि के एक ही तरह के सम्यक सिद्धांतों का विनिश्चय किया जाना था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दोनों संशोधनो को संशोधित रूप से एक ही अपील के माध्यम से निराकरण किया जाना तथ्यात्मक व तार्किक रूप से उचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पूर्ण विवेचना उपरांत संहिता की धारा 178 के आज्ञापक नियमों व प्रावधानों के अनुरूप उक्त संशोधनों को विधि अनुरूप न माना जाने का आदेश विधिसम्मत आदेश की परिधि में होकर अहस्तक्षेपनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने पर निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जिस पर न्याय दृष्टांत 1975 आर.एन 67, 2009 आर.एन. 285, 1987 आर.एन. 391, 1988 आर.एन. 222 एवं 1997 आर.एन. 258 प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) आयुक्त ने स्पष्ट निष्पक्ष आदेश पारित किया है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश दिये, जो विधिसम्मत है, उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बद्रीप्रसाद के जीवनकाल में पुत्रियों को अधिकार अर्जित होने का प्रश्न है इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों पर विचारोपरांत पैतृक खानदानी संपत्ति होना प्रमाणित पाया है तब खानदानी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का अधिकार बद्रीप्रसाद को नहीं रहा है। रूकमण ने पिता के जीवनकाल में अपने अधिकार की मांग करते हुए अपील प्रस्तुत नहीं की है, अपितु इसी सम्पत्ति जिसमें उसके अधिकार निहित है, उसके सुरक्षा के लिए अपील प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोनों संशोधन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की, जैसा कि इस निगरानी में

दो संशोधन में एक अपील प्रस्तुत किये जाने का आधार लिया है, तत्संबंध में यह तर्क है कि दोनों संपत्तियां बद्रीप्रसाद के नाम पर दर्ज रहकर एवं इस प्रकरण के पक्षकारगण के भी समान रहे है। दोनों प्रश्नाधीन संशोधन एक ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित होकर दोनों संशोधन के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को आपत्ति श्रवण करने का अधिकार रहा है साथ ही दोनों संशोधन की जानकारी भी समान होने से वाद कारण भी एक समान है। ऐसे में दो अपील प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस हेतु भी इस आवेदक की निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) आवेदक द्वारा अपनी निगरानी में पारिवारिक व्यवस्था पत्र का उल्लेख किया है, जो मिथ्याचारी होकर कपोलकल्पित है, उक्त व्यवस्था पत्र का उल्लेख एवं ना ही उक्त व्यवस्था पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस निगरानी के द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार का कोई व्यवस्था पत्र निष्पादित ही नहीं हुआ है और ना ही उक्त व्यवस्था पत्र पर किसी भी अनावेदकगण के कोई हस्ताक्षर व जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस आवेदक द्वारा किया गया कृत्य एवं मिथ्याचारी कथनों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी श्री बद्रीप्रसाद आ. श्री शिवप्रसाद यादव ने अपने जीवनकाल में ही वगैर अपने विधिक वारसानों के तथ्य अर्थात् उनकी पांच पुत्रियों के होने के तथ्य छिपाये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर संशोधन क्र. 43 एवं 44 से मात्र अपने पुत्र लखनलाल का नाम दर्ज कराया गया है, इस संदर्भ में यह अपेक्षित था कि बद्रीप्रसाद अपने समस्त वारसानों को प्रश्नाधीन भूमि के बंटवारा प्रकरण में संयोजित कर विधिवत निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत कार्यवाही कराई जानी थी, परंतु ऐसा न किया जाकर संशोधन पंजी में प्रश्नाधीन संशोधन प्रमाणीकरण कराया गया है, जो कि संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप न होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन संशोधन को अपास्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। आवेदकगण का अन्य आधार एवं तर्क है कि दो अलग-अलग संशोधन आदेशों की पृथक-पृथक अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक ही अपील प्रकरण में दो संशोधन प्रमाणीकरण आदेश को निरस्त किया है, इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रश्नाधीन संशोधनों से संबंधित मूल भूमिस्वामी एवं पक्षकार एक ही है तथा विधिक प्रश्न एवं तथ्य भी एक ही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों संशोधनों को संयोजित रूप से एक ही अपील के माध्यम से निराकरण किया जाना तथ्यात्मक व तार्किक रूप से उचित है, जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार दो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

अतः उपरोक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर